10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

66 II/निगरानी/अशोकनगर/भू-रा/2017/1757

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

श्री ... द्वारा आज दि. 13-6-17 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विमल कुमार मोदी पुत्र श्री कपूर चन्द मोदी, आयु – 61 साल, व्यवसाय – खेती, निवासी– मोदी कृषि फार्म, गल्ला मण्डी के पास, पिपरई, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

-- आवेदक

बनाम

अनिल कुमार जैन पुत्र श्री सुभाष चन्द्र जैन, निवासी– ग्राम व तहसील पिपरई, जिला अशोकनगर (म0प्र0) हाल - निवास - 29 काजीपुरा गली, भोपाल (म0 प्र0)

-- अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय पिपरई, जिला अशोकनगर के क्रमांक क्यू/रीडर /2017/366(3) में आदेश दिनांक 17.05.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

(Lakhan Singh Dhakad) 13/6/17

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:–

1. यहकि, अनावेदक एक भू–माफी व्यक्ति होकर अवैध रूप से जमीनों का क्रय–विक्रय करता है, उसके द्वारा कई शासकीय नम्बरान को विक्रय किया जा चुका है। अनावेदक के द्वारा तहसीलदार पिपरई, जिला अशोकनगर के समक्ष एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 129 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया है कि भूमि सर्वे क्रमांक 660/1/5/, 659/1 का सीमांकन किया जावे। अनावेदक की उक्त भूमि से लगी भूमि सर्वे क्रमांक 661 है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पत्र से कार्यवाही प्रचलित की गयी। जिसमें आवेदक को दिनांक 17.05.2017 को सीमाकन की सूचना एवं सुनवाई प्राप्त हुयी। दिनांक 17.05.2017 एवं 18.05.2017 को सीमांकन की कार्यवाही की गयी थी।

2. यहकि, विवादित भूमि के संबंध में कई बार सीमांकन किया जा चुका है, किन्तु अनावेदक जानबूझाकर बार–बार सीमांकन की कार्यवाही करवाकर तथा अवैध रूप से आवेदक की भूमि पर कब्जा करने के आशय से कार्यवाही करता रहता है।

विमल मोदी

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/अशोकनगर/भूरा/2017/1757

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
10 –11–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार पिपरई जिला अशोकनगरा के कमांक क्यू/रीड़र/2017/366 (3) में पारित आदेश दिनांक 17.5.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने। निगरानी में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार पिपरई जिला अशोक नग के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 129 के तहत प्रस्तुत किया गया। अनावेदक की भूमि से लगी भूमि सर्वे कमांक 661 है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन से कार्यवाही प्रचलित की गई जिसमें आवेदक कोदिनांक 17.5.17 को सीमांकन की सूचना एवं सुंनवाई प्राप्त हुयी दिनांक 17.5.17 एवं 18.5.17 को सीमांकन की कार्यवाही की गई थी। 3– प्रकरण में तहसीलदार पिपरई जिला अशोकनगरा के कमांक क्यू/रीडर/2017/366 (3) में पारित आदेश दिनांक	

17.5.17 के द्वारा सीमांकन की कार्यवाही विधि प्रावधनों के अंतर्गत की गई है। तहसीलदार पिपरई द्वारा धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार ही सीमांकन की कार्यवाही की गई है। आवेदक चाहे तो वह अपने आराजियों का सीमांकन काराने के लिये स्वतंत्र है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार पिपरई जिला अशोकनगरा के कमांक क्यू / रीडर / 2017 / 366 (3) में पारित आदेश दिनांक 17.5.17 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखा जाता है। है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य